तकनीकी शिक्षा संचालनालय मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल – 462004

क्रमांक / 4 / शैक्ष. / एफ / 09 / /भोपाल, दिनांक..................

"विज्ञापन"

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली द्वारा पत्र क्रमांक / 37–03 / Legal / 2007, दिनांक 09 / 04 / 2008 के माध्यम से ट्यिूशन फीस वेवर योजना (स्कीम) लागू की जाने हेतु गाईड–लाईन्स जारी की है, गाईड लाइन्स के आधार पर प्रदेश में उक्त योजना लागू करने हेतु शासन द्वारा आदेश कमांक एफ–14–16 / 2009 / 42 (1) दिनांक 5 / 6 / 2009 जारी किये गये है। समाज की महिलाओं, विकलांगों तथा आर्थिक रूप से कमजोर तबके के विद्यार्थियों में तकनीकी शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से यह योजना तैयार की गई है, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पाठ्यक्रम (ब्रांच) में दो महिला विद्यार्थी, तीन आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी (जिनके अभिभावक की सालाना आय सभी स्त्रोत से रूपये 2.50 लाख वार्षिक से अधिक न हो) तथा एक शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी को मेरिट के आधार पर ट्यिूशन फीस में छूट की पात्रता रहेगी। ट्यिूशन फीस की यह छूट का भार संस्थायें स्वयं वहन करेंगी। इसके ऐवज में संस्थायें उनकी संस्था में स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 10 प्रतिशत अथवा योजना के माध्यम से लाभान्वित विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या, जो भी कम हो के बराबर अतिरिक्त प्रवेश उसी पाठ्यक्रम (ब्रांच) में प्राप्त कर सकेंगी। यह योजना स्वैच्छिक है, जिसकी विस्तृत जानकारी शासन के आदेश, एम.ओ.यू. का प्रारूप, एआईसीटीई की गाईड लाइन्स सहित संचालनालय तकनीकी शिक्षा की Website www.mptechedu.org पर उपलब्ध है। शासन के निर्देशानुसार इच्छुक संस्थाओं को योजना लागू करने हेतु संचालक, तकनीकी शिक्षा से एग्रीमेंट / एम.ओ.यू., 100 / – रूपये के स्टाम्प पेपर पर करना होगा ।

इच्छुक संस्थायें यथा बी.ई., बी.फार्मेसी / डी फार्मेसी, बी.आर्क एवं होटल मैनेजमेंट तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली समस्त समस्त संस्थाएं इस संबंध में अपनी सहमति संचालक, तकनीकी शिक्षा से एग्रीमेन्ट / एम.ओ.यू. कर दिनांक 29 / 6 / 2009 तक संचालनालय, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल को भेजें, ताकि उक्त स्कीम के अंतर्गत प्रदेश की इच्छुक संस्थाओं में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के दिशा निर्देशो / शासन के आदेश के अनुरूप वर्ष 2009–10 से प्रवेश देने संबंधी कार्यवाही की जा सकें।

विज्ञप्ति के माध्यम से यह भी सूचित किया जाता है। कि जिन संस्थाओं द्वारा पूर्व में संचालनालयीन पत्र कमांक / 5 / योजना / बी / 2009 / 538, दिनांक 2 / 4 / 2009 के निर्देश में अपनी सहमती दी है, मान्य नही होगी। एम.ओ.यू. के साथ सहमती देने पर ही संस्था में योजना लागू किये जाने पर विचार किया जावेगा।

संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

F-Table/Advertisment